

भारतीय रिज़व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआइ/2013-14/77

बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 1/01.02.00/2013-14

1 जुलाई 2013

अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)

महोदय

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2012 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2012-13 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों / दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।

2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 13वी मंज़िल केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई 400001

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13th floor, Central Office Bldg., Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001

टेलिफोन /Tel No:022-22661602 फैक्स/Fax No:022-22705691 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए

वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड पर मास्टर परिपत्र

<u>उद्देश्य</u>

विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं को अपनी अल्पाविध तथा दीर्घाविध संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता देने के लिए तािक वित्तीय संस्थाओं को उनकी संबंधित संविधि के अनुसार जिन परिचालनों, उद्देश्य तथा लक्ष्यों के साथ स्थापित किया गया था उनसे संबद्ध ऋण की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को वित्तीय संस्थाएं पूरा कर सकें। इस परिपत्र का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बॉण्ड जारी करने के संबंध में उनके बीच विनियामक मानदंडों में व्यापक एकरूपता लाकर उन्हें एक समान अवसर दिलाना भी है।

पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

<u>प्रयोज्यता</u>

सभी अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं अर्थात, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक।

विषयवस्तु

- 1 प्रस्तावना
- ² 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत संसाधन ज्टाने हेत् मानदंड
- ^{2.1} मीयादी जमा
- 2.2 मीयादी मुद्रा उधार
- 2.3 जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

- 2.4 वाणिज्य पत्र (सीपी)
- ^{2.5} अंतर कंपनी जमाराशियां (आइसीडी)
- 3 बांडों/डिबेंचरों के निर्गम संबंधी मानदंड

अनुबंध 1: <u>वाणिज्य पत्र</u> पर निदेश

अनुसूची।: वाणिज्य पत्र (सीपी) का प्रोफार्मा

अन्सूची ॥: आईपीए प्रमाणपत्र

अनुसूची III: सीपी की चुकौती में चूकों का ब्योरा

अन्सूची IV: सीपी की वापसी-खरीद की रिपोर्टिंग

अनुबंध 2: जुटाये गये कुल संसाधन पर मासिक समेकित विवरणी

अनुबंध 3: बांडों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों पर मासिक विवरणी

अनुबंध 4: मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

नब्बे के दशक के आरम्भ से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में स्धारों की प्रक्रिया का अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफ आइ) के संसाधन ज्टाने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की दीर्घकालीन परिचालन (एलटीओ) निधि से वित्तीय संस्थाओं को निधियां प्रदान करने को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने तथा उन्हें एसएलआर बांड के आबंटन की प्रणाली समाप्त किए जाने से, वित्तीय संस्थाएं बांड जारी कर (सार्वजनिक और निजी तौर पर आबंटित दोनों तरह के निर्गमों के ज़रिए) बाजार से संसाधन जुटा रही हैं। बाज़ार से बांडों के ज़रिए दीर्घावधि संसाधन ज्टाने के लिए कुछ वित्तीय संस्थाएं सांविधिक निकाय होने के नाते सेबी से अनुमोदन लेती थीं, जबिक अन्य लिमिटेड कंपनियां होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक से अन्मोदन लेती थीं । इस संबंध में एकरूपता स्निश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि सभी वित्तीय संस्थाओं को, चाहे वे सांविधिक निकाय हों या लिमिटेड कंपनियां, 1998 से भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अधीन लाया जाए। ऐसे अन्य परिवर्तन जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं की संसाधन ज्टाने की क्षमता को प्रभावित किया है, उनमें प्रगामी रूप से विनियमन को हटाना, ब्याज दर स्वैप तथा वायदा दर करार (आइआरएस/एफआरए) जैसे रक्षा प्रदान करनेवाले लिखत श्रूक करना, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली लागू करना आदि शामिल हैं। पूर्वोक्त गतिविधियों के कारण वित्तीय संस्थाओं के संसाधन जुटाने, खास तौर से बांड जारी करने के जरिए, संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की ज़रूरत हुई और भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2000 को इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया। वित्तीय संस्थाओं से बांड निर्गम के संबंध में प्राप्त संदर्भों पर शीघ्र निर्णय लेने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने एक 'स्थायी समिति' गठित की है जिसमें संबंधित वित्तीय संस्थाओं के नामिती को भी आमंत्रित किया जाता है। संबंधित वित्तीय संस्था से अन्रोध प्राप्त होने के दिन या अगले दिन स्थायी समिति की बैठक आयोजित की जाती है। वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे प्रस्तावित बांडों के निर्गम के पूरे ब्यौरे भेजें जिनमें जुटायी जानेवाली राशि, उसे जुटाने का तरीका, वह प्रयोजन जिसके लिए निधियों का उपयोग किया जायेगा प्रस्तावित निर्गम के विशेष तत्व जैसे बिक्री/खरीद विकल्प आदि तथा बांडों पर परिपक्वता आय (वाइटीएम) बतायी गयी हो ।

2. 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत संसाधन जुटाने हेतु मानदंड

चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना 1990 के दशक से मौद्रिक नीति के अनुबद्ध के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन के अधीन था। प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने चयनित वित्तीय संस्थाओं के लिए लिखतवार वह सीमा निर्धारित की थी जहां तक विशिष्ट लिखत के जरिए वित्तीय संस्थाएं संसाधन जुटा सकती थीं। मई 1997 में लिखतवार अधिकतम सीमा के स्थान पर "अंब्रेला

सीमा" निर्धारित की गयी जो संबंधित वित्तीय संस्था की 'निवल स्वाधिकृत निधि' से संबद्ध थी और जो निर्दिष्ट लिखत के जिए वित्तीय संस्था द्वारा उधार लेने के लिए समग्र अधिकतम सीमा थी। 'अंब्रेला सीमा' की प्रणाली अब भी लागू है, हालांकि पिछले वर्षों में इस सीमा के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त लिखतों को शामिल किया गया है। 'अंब्रेला सीमा' में वर्तमान में पांच लिखत शामिल हैं - अर्थात् मीयादी जमा, मीयादी मुद्रा उधार, जमा प्रमाण पत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कंपनी जमा (आइसीडी)। इन विनिर्दिष्ट लिखतों के जिए जुटाये जानेवाले कुल उधार कभी भी संबंधित वित्तीय संस्था के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल वित्तीय संस्था के लिए अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होने चाहिए। इनमें से प्रत्येक लिखत से संबंधित शर्तें नीचे दी गयी हैं:

2.1 मीयादी जमा

मद	अनुदेश					
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा					
	अंदर मीयादी जमाराशियां स्वीकार कर सकती है अर्थात् अन्य लिखतों, जैसे					
	मीयादी मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अंतर-कंपनी जमा के साथ					
	मीयादी जमा, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, उसकी निवल					
	स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।					
परिपक्वता	1 से 5 वर्ष					
अवधि						
ब्याज दर	वित्तीय संस्थाएं ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं					
न्यूनतम	₹. 10,000/-					
जमाराशियाँ						
दलाली	स्वीकृत जमाराशियों का 1 प्रतिशत					
परिपक्वता	i) जमाकर्ता के निधन, मेडिकल अनिवार्यता, शैक्षिक व्यय तथा अन्य ऐसे					
अवधि पूर्व	कारणों से एक वर्ष पूर्ण होने से पहले परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण के					
आहरण	मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू किया जाये :					
	(क) छह महीने पहले परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण - कुछ भी ब्याज न					
	दिया जाये					
	(ख) छह महीने और एक वर्ष के बीच परिपक्वता अवधि पूर्व आहरण -					

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वा निर्दिष्ट की गई बचत बैंक दर से अधिक ब्याज दर न दी जाये।						
अवधि पूर्व आहरण पर उनकी अपनी दंडस्वरूप ब्याज दर निश्चित करने						
के लिए स्वतंत्र हैं ।						
सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों से रेटिंग अनिवार्य है।						
स्वीकृत मीयादी जमाराशियों पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई भी ऋण प्रदान						
नहीं किया जाना चाहिए ।						

2.2 मीयादी मुद्रा उधार

मद	अनुदेश					
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा के					
	अंदर मीयादी मुद्रा जुटा सकती है अर्थात् अन्य लिखतों, जैसे मीयादी जमा,					
	वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अंतर-कंपनी जमा के साथ मीयादी मुद्रा उधार,					
	अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों					
	के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।					
परिपक्वता	3 महीने से कम नहीं और 6 महीने से अधिक नहीं					
अवधि						
ब्याज दर	वित्तीय संस्थाओं को ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता है ।					
उधार किससे	वित्तीय संस्थाएं अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों से ही 'मीयादी मुद्रा'					
	उधार लेने के लिए पात्र हैं ।					

2.3 जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

मद	अनुदेश					
पात्रता	जमा प्रमाण पत्र उन चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये					
	जा सकते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अंब्रेला सीमा के					
	अंदर अल्पावधि संसाधन जुटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है ।					
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी समग्र अंब्रेला सीमा के					
	अंदर जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, अर्थात् अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा,					

	मीयादी जमा, वाणिज्य पत्र और अंतर कंपनी जमा सहित जारी किये जानेवाले जमा					
	प्रमाण पत्र, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, उसकी निवल					
	स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।					
मूल्य वर्ग	जमा प्रमाण पत्र की न्यूनतम राशि एक लाख रुपये होनी चाहिए अर्थात् एकल					
	अभिदाता से स्वीकार की जा सकने वाली न्यूनतम जमाराशि 1 लाख रुपये से कम					
	नहीं होनी चाहिए । जारी किये जानेवाले जमा प्रमाण पत्र 1 लाख रुपये के गुणजों में					
	होंगे ।					
कौन अभिदान	जमा प्रमाण पत्र एकल व्यक्तियों (अवयस्कों को छोड़कर), निगमों, कंपनियों,					
कर सकता है ?	न्यासों, निधियों, संघों आदि को जारी किये जा सकते हैं । अनिवासी भारतीय भी					
	जमा प्रमाण पत्रों में अभिदान कर सकते हैं लेकिन, केवल अप्रत्यावर्तनीय आधार पर					
	और इस बात का प्रमाणपत्र पर स्पष्टतः उल्लेख किया जाए। ऐसे जमा प्रमाणपत्र					
	अनुषंगी बाज़ार में किसी दूसरे अनिवासी भारतीय को परांकित नहीं किए जा सकते					
	हैं।					
परिपक्वता	वित्तीय संस्थाएं जारी करने की तारीख से 1 वर्ष से अन्यून अवधि और 3 वर्ष से					
अवधि	अनधिक अवधि के लिए जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकती हैं ।					
बट्टा/कूपन दर -	जमा प्रमाण पत्र अंकित मूल्य पर बट्टा काटकर जारी किये जाने चाहिए, परंतु उन्हें					
स्थिर और	कूपन युक्त लिखत के रूप में भी जारी किया जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं को					
अस्थिर	अस्थिर दर के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति है, बशर्ते अस्थिर दर					
	निर्धारित करने की पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा बाज़ार आधारित हो।					
	वित्तीय संस्थाएं बट्टा/कूपन दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।					
फार्मेट	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा प्रमाण पत्र केवल अमूर्त (डिमटेरिअलाइज़ड) रूप में					
	ही जारी किये जाने चाहिए । तथापि, डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996 के अनुसार					
	निवेशकों को प्रमाण पत्र भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प है । तदनुसार, यदि					
	निवेशक भौतिक रूप में प्रमाण पत्र का आग्रह करे तो वित्तीय संस्था ऐसे प्रमाण पत्र					
	भौतिक रूप में जारी कर सकती है, परंतु ऐसे प्रसंगों की मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय					
	बाज़ार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 को					
	अलग से सूचना देनी होगी ।					
अंतरणीयता	भौतिक जमा प्रमाणपत्रों को परांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से अंतरित किया					
	जा सकता है। जमा प्रमाण पत्रों को अन्य डिमेट प्रतिभूतियों पर लागू क्रियाविधि के					

	अनुसार अंतरित किया जा सकता है । जमा प्रमाण पत्रों के लिए कोई अवरुद्धता
	अवधि नहीं है ।
ऋण/पुनर्खरीद	वित्तीय संस्था जमा प्रमाण पत्रों पर न तो ऋण प्रदान कर सकती हैं और न ही अपने
	जमा प्रमाण पत्रों की परिपक्वता अवधि से पहले पुनर्खरीद कर सकती हैं।
मानकीकृत	इस संबंध में वित्तीय संस्थाएं निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न
बाज़ार प्रथाएँ	(डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआइएमएमडीए) द्वारा 20 जून 2002 को जारी किए गए
और	समय समय पर संशोधित विस्तृत दिशानिर्देश देखें।
प्रलेखीकरण	

2.4 वाणिज्य पत्र (सीपी)

मद	अनुदेश				
पात्रता	जिन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित				
	की गयी अंब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाने की अनुमति दी गयी है वे				
	वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं ।				
कुल राशि	वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी अंब्रेला सीमा के अंदर				
	वाणिज्य पत्र जारी कर सकती हैं, अर्थात् अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा, मीयादी				
	जमा, जमा प्रमाण पत्र और अंतर कंपनी जमा सहित जारी किये जानेवाले वाणिज्य				
	पत्र, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, उसकी निवल स्वाधिकृत				
	निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।				
जारी करने की	जारी करने हेतु प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि जारीकर्ता द्वारा अभिदान				
अवधि	के लिए निर्गम खुलने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटायी जानी				
	चाहिए । वाणिज्यिक पत्र एक ही तारीख को या अलग-अलग तारीखों को अंशों में				
	जारी किये जा सकते हैं, बशर्ते अलग-अलग तारीखों के मामले में प्रत्येक वाणिज्य				
	पत्र की परिपक्वता तारीख समान हो ।				
	नवीकरण सहित वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम को नये निर्गम के रूप में माना				
	जाना चाहिए।				
मूल्य वर्ग	वाणिज्यिक पत्र 5 लाख रुपये या उसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किये जा				
	सकते हैं । एकल निवेशक द्वारा निवेश की गयी राशि 5 लाख रुपये (अंकित				

	मूल्य) से कम नहीं होनी चाहिए।					
जारी करने की प्रक्रिया	क. प्रत्येक जारीकर्ता वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए एक आईपीए नियुक्त करेगा। ख. जारीकर्ता को मानक बाज़ार व्यवहार के अनुसार संभावित निवेशकों को अपनी अद्यतन वित्तीय स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। ग. निवेशक और जारीकर्ता के बीच सौदे के विनिमय की पृष्टि के बाद जारीकर्ता आईपीए के माध्यम से निक्षेपागार में निवेशक के डी-मैट खाते में वाणिज्य पत्र जमा करने की व्यवस्था करेगा। घ. जारीकर्ता निवेशक को इस आशय के आईपीए प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि देगा कि जारीकर्ता का आईपीए के साथ वैध करार है तथा दस्तावेज सही हैं (अनुसूची॥)					
रेटिंग संबंधी	वित्तीय संस्था वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग सेबी के पास					
अपेक्षा	पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक से प्राप्त करेंगी।					
	रेटिंग सिम्बल तथा सेबी द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग एउ होगी। सीपी के निर्गम के समय निर्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से प्राप्त रेटिंग बनी हुई है तथा उसकी समीक्षा का समय नहीं हुआ है।					
कौन अभिदान	वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत अथवा निगमित					
कर सकता है ?	अन्य कंपनी निकायों तथा अनिगमित निकायों, अनिवासी भारतीयों					
	(एनआरआइ) तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किये जा सकते हैं तथा वे					
	उन्हें धारित कर सकते हैं। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जानेवाले निवेश भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड तथा समय-समय पर					
	यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, विदेशी मुद्रा (जमा)					
	विनियम, 2000 और विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के बाहर निवासी व्यक्ति					
	द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के द्वारा उनके					
	निवेशों के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर होंगे ।					
परिपक्वता	वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से न्यूनतम 7 दिनों की तथा अधिकतम एक वर्ष					
अवधि	की परिपक्वता अवधि के बीच की परिपक्वताओं के लिए जारी किये जा सकते हैं।					
	तथापि वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि, निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग की					

	वैधता की तारीख के आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिए ।					
बट्टा	वाणिज्यिक पत्र अंकित मूल्य पर बहे पर जारी किये जाएं तथा बहे की दर वित्तीय					
	संस्था द्वारा निर्धारित की जाए।					
अंतरणीयता	भौतिक स्वरूप में वाणिज्यिक पत्र, परांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से					
	अंतरणीय होंगे। अमूर्त रूप में वाणिज्यिक पत्र की अंतरणीयता एफआइएमएमडीए					
	द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी ।					
जारी करने की	क. वाणिज्यिक पत्र, सेबी द्वारा अनुमोदित तथा सेबी में पंजीकृत किसी भी					
विधि	निक्षेपागार के माध्यम से वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट के रूप में अथवा अमूर्त रूप					
	में जारी किये जाएंगे (जैसाकि इन निदेशों की <u>अनुसूची I</u> में विनिर्दिष्ट किया					
	गया है), बशर्ते कि सभी आरबीआई विनियमित संस्थाएं ऐसे निक्षेपागारों के					
	माध्यम से सीपी का सौदा और धारण केवल अमूर्त रूप में ही कर सकते हैं।					
	ख. सभी आरबीआई विनियमित संस्थाओं द्वारा नए निवेश केवल अमूर्त					
	रूप में ही किए जाएंगे।					
ऋण संवर्धन के	बैंकेतर संस्थाएं जिनमें कंपनियां शामिल हैं, वाणिज्यिक पत्र निर्गम के लिए ऋण					
लिए गारंटी	संवर्धन हेतु बिना शर्त तथा अप्रतिसंहरणीय गारंटी प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते,					
	(i) निर्गमकर्ता, वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए निर्धारित पात्रता के					
	मानदंडों को पूरा करता है ।					
	(ii) गारंटीदाता को अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गयी रेटिंग,					
	जारीकर्ता की रेटिंग से कम-से-कम एक स्तर उच्च हो; तथा					
	(iii) वाणिज्यिक पत्र के प्रस्ताव दस्तावेज़ में गारंटी देनेवाली कंपनी की निवल					
	संपत्ति, उन कंपनियों के नाम, जिन्हें गारंटीदाता ने इसी प्रकार की					
	गारंटियां जारी की हैं, गारंटी देनेवाली कंपनी द्वारा प्रस्तावित गारंटियों की					
	सीमा तथा किन परिस्थितियों में गारंटी लागू की जाएगी उन्हें स्पष्टतः					
	प्रकट किया गया हो।					
वाणिज्यिक पत्र	क. वाणिज्य पत्र के सभी ओटीसी सौदे एफआईएमएमडीए प्लेटफॉर्म पर					
का व्यापार और	सौदा होने के 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट किए जाएंगे।					
भुगतान	ख. वाणिज्यिक पत्र के ओटीसी सौदों का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज					
	का समाशोधन गृह, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन					
	निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का					

	समाशोधन गृह अर्थात् इंडियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन						
	लि.(आईसीसीएल) के माध्यम से, एनएससीसीएल तथा आईसीसीएल						
	द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट मानदंड़ों के आधार पर किया						
	जाएगा।						
	ग. वाणिज्यिक पत्र में ओटीसी सौदों के लिए भुगतान चक्र टी+0 अथवा						
	टी+1 होगा।						
निवेश मोचन	क. वाणिज्यिक पत्र में निवेशकर्ता (प्राथमिक अभिदाता) आईपीए के						
	माध्यम से जारीकर्ता के खाते में वाणिज्यिक पत्र का बद्दागत मूल्य						
	अदा करेगा।						
	ख. जब वाणिज्य पत्र मूर्त रूप में धारित है, तब निवेशक परिपक्वता पर						
	उक्त लिखत को आइपीए के जरिए जारीकर्ता को चुकौती के लिए प्रस्तुत						
	करेगा।						
	ग. अमूर्त रूप में वाणिज्य पत्र धारक वाणिज्य पत्र का मोचन कराएगा						
	तथा आईपीए के जरिए भुगतान प्राप्त करेगा।						
वाणिज्य पत्र की	क. जारीकर्ता द्वारा निवेशक को बेचे गए वाणिज्य पत्रों की वे परिपक्वता						
वापसी खरीद	अवधि से पूर्व वापसी खरीद कर सकते हैं।						
	ख. वाणिज्य पत्र की वापसी खरीद द्वितीयक बाजार के जरिए तथा चालू						
	बाजार दर पर की जाएगी।						
	ग. वाणिज्य पत्र की वापसी खरीद उसे जारी करने की तारीख से न्यूनतम 7						
	दिन की अवधि से पूर्व नहीं की जाएगी।						
	घ. जारीकर्ता की गई वापसी खरीद की सूचना आईपीए को देगा।						
	ङ वाणिज्य पत्र की वापसी खरीद निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने						
	के बाद की जानी चाहिए।						
कर्तव्य और	जारीकर्ता, आईपीए तथा सीआरए के कर्तव्य और दायित्व नीचे दिए गए हैं:						
दायित्व							
	जारीकर्ता						
	जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्य पत्र जारी करने के लिए						
	निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया है।						

आईपीए

क. आईपीए यह सुनिश्चित करेगा कि जारीकर्ता के पास न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग है, जैसाकि आरबीआई ने निर्धारित किया है, तथा वाणिज्यिक पत्र जारी कर के जुटाई गई राशि विशिष्ट रेटिंग के लिए सीआरए द्वारा स्पष्ट की गई मात्रा के भीतर अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, इनमें से जो भी कम हो, है।

ख. आईपीए यह प्रमाणित करेगा कि उसका जारी कर्ता के साथ वैध करार है (अनुसूची II)

ग. आईपीए यह सतयापित करेगा कि जारीकर्ता द्वारा प्रस्तु सभी दस्तावेज, अर्थात् बोर्ड संकल्प की प्रति, प्राधिकृत निष्पादकों के हस्ताक्षर (जब वाणिज्य पत्र मूर्त रूप में जारी किया जाता है) सही हैं, और इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

घ. आईपीए द्वारा सत्यापित मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां आईपीए की अभिरक्षा में रखी जाएंगी।

ङ. आईपीए के रूप में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंक वाणिज्यिक पत्र जारी करने की तारीख से दो दिन के भीतर वाणिज्यिक पत्र जारी करने संबंधी ब्योरा आरबीआई के ऑन-लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) में रिपोर्ट करेंगे।

च. आईपीए वाणिज्यिक पत्र की चुकौती में चूक होने पर तत्काल उसका पूर्ण ब्यौरा मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 (ई मेल) को उस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेगा, जैसा कि इन निदेशों की अनुसूची III में दिया गया है।

छ. आईपीए जारीकर्ता द्वारा वाणिज्यिक पत्र की वापसी खरीद के सभी मौके भी मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 (ई मेल) को उस फॉर्मेट में रिपोर्ट करेगा, जैसा कि इन निदेशों की अनुसूची IV में दिया गया है।

III. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

क. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पूंजी बाजार लिखतों की रेटिंग करने हेतु सेबी दवारा सीआरए के लिए बनाई गई आचार-संहिता का पालन करेंगी,

	जो वाणिज्यिक पत्रों की रेटिंग के लिए भी लागू होगी।					
	ख. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग की वैधता अवधि का निर्धारण करने					
	का अधिकार होगा, जो कि जारीकर्ता की मजबूती के बारे में उनकी					
	समझ पर निर्भर करेगा; तथा वे रेटिंग के समय वह तारीख स्पष्ट					
	रूप से बताएंगे, जब रेटिंग की समीक्षा की जानी है।					
	ग. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां नियमित अंतराल पर पिछले कार्य-निष्पादन					
	की तुलना में जारीकर्ताओं को दी गई रेटिंग पर निगरानी रखेंगे तथा					
	अपने प्रकाशनों और वेब-साइट के जरिए रेटिंग में संशोधन को					
	सार्वजनिक करेंगे।					
वाणिज्यिक पत्र	किसी भी जारीकर्ता के पास हामीदारीकृत अथवा सह-स्वीकृत वाणिज्यिक पत्र का					
निर्गम की	निर्गम नहीं होगा ।					
	istale and district					
हामीदारी/सह-						
हामीदारी/सह-	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण					
हामीदारी/सह- स्वीकृति						
हामीदारी/सह- स्वीकृति प्रलेखीकरण की	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण					
हामीदारी/सह- स्वीकृति प्रलेखीकरण की	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण का निर्धारण भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ					
हामीदारी/सह- स्वीकृति प्रलेखीकरण की	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण का निर्धारण भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ परामर्श कर के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम					
हामीदारी/सह- स्वीकृति प्रलेखीकरण की	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण का निर्धारण भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ परामर्श कर के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार किया गया है।					
हामीदारी/सह- स्वीकृति प्रलेखीकरण की	क. वाणिज्यिक पत्रों के लिए मानकीकृत क्रिया-विधि तथा प्रलेखीकरण का निर्धारण भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ परामर्श कर के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार किया गया है। ख. जारी कर्ता/आईपीए समय समय पर भारतीय रिझर्व बैंक के					

2.5 अंतर कंपनी जमाराशियां (आइसीडी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर कंपनी जमाराशियों (आइसीडी) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। तथापि, जिन वित्तीय संस्थाओं का कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में विन्यास हुआ है, वे उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुमित के अनुसार अंतर कंपनी जमाराशियां जारी करने के लिए पात्र हैं। अंतर कंपनी जमाराशियों के माध्यम से जुटाये गयी राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र अंब्रेला सीमा के भीतर होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य लिखतों जैसे मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तथा वाणिज्य पत्र (सीपी) सहित अंतर कंपनी

जमाराशियां का निर्गम, लेखा परीक्षा किये गये अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. बांडों/डिबेंचरों के निर्गम संबंधी मानदंड

- 3.1 वित्तीय संस्थाओं को बांडों के निर्गम से, चाहे सार्वजनिक निर्गम अथवा निजी तौर पर शेयरों के आबंटन द्वारा हों, संसाधन जुटाने के लिए निम्निलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अधीन रिज़र्व बैंक का निर्गम-वार पूर्वान्मोदन/पंजीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं है :
 - i) बांड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए;
 - ii) खरीद /विक्रय अथवा दोनों विकल्प वाले बांडों के संबंध में, वह विकल्प बांड के निर्गम की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व प्रयोज्य नहीं होना चाहिए;
 - iii) निर्गम की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पूर्व बांड पर 'एक्ज़िट' विकल्प प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।
- 3.2 वित्तीय संस्था द्वारा किसी विशिष्ट समय पर जुटाये गये कुल संसाधन, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'अम्ब्रेला' सीमा के अंतर्गत जुटायी गयी निधियां शामिल हैं, का बकाया उसके नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 10 गुना अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल वित्तीय संस्था के लिए अनुमोदित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3.3 संसाधन जुटाने के लिए निर्धारित सीमा, केवल एक समर्थकारी व्यवस्था है । वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी संसाधनों की आवश्यकताओं तथा परिपक्वता ढांचा तथा उस पर प्रस्तावित ब्याज की गणना वास्तविक आधार पर करें, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ एएलएम/जोखिम प्रबंधन की स्वस्थ प्रणाली से व्युत्पन्न किया गया हो ।
- 3.4 वित्तीय संस्थाओं को अस्थिर दर बांड के मामले में चयनित 'संदर्भ दर' तथा अस्थिर दर निर्धारण की पद्धितयों के संबंध में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना चाहिए। बाद के अलग-अलग निर्गमों के लिए तब तक उक्त अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जब तक आधार संदर्भ दर तथा अस्थिर दर निर्धारण की पद्धित अपरिवर्तित बनी रहती है।

- 3.5 वित्तीय संस्थाओं को अन्य विनियामक प्राधिकरण, जैसे सेबी आदि के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन भी करना चाहिए ।
- 3.6 वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे जुटाये गये संसाधनों के ब्यौरों के मासिक विवरण अनुबंध 2 तथा 3 में दिये गये फॉर्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। महीने के अंत की स्थिति को दर्शाने वाले विवरण, दूसरे महीने के 10वें दिन अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत किये जाने चाहिए। बांड के सार्वजनिक निर्गम से संबंधित ब्यौरे उस महीने के विवरण में शामिल किये जाएं जिसमें संबंधित निर्गम बंद हुआ है।
- 3.7 यह विवरण मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय संस्था प्रभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 13वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई 400 001 को भेजें।फैक्स सं. 22701238।

अनुबंध 1

अनुसूची ।

वाणिज्य पत्र का प्रोफार्मा

जिस राज्य में जारी किया जाना है, उस राज्य में लागू दर पर स्टैम्प लगाया जाए

(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम)			
क्रमांक.			
में जारी किया : :	(स्थान)	जारी करने की तारी	ोख
परिपक्वता की तारीख:		रियायत के दिनों के	बिना.
(यदि ऐसी तारीख छुट्टी के दिन पड़ती हो, तो किया जाएगा)	भुगतान उसेके	तुरंत बाद के कार्यि	वस पर
यहां प्राप्त मूल्य		जारीकर्ता कंपनी/संस्श । मूल्य प्राप्त किया	
एतद् द्वारा वचन देते हैं कि वह			(निवेशक का
नाम) अथवा उसके आदेश पर ऊपर विनिर्दिष्ट		ा तारीख को (जारीकर्ता और	अदाकर्ता
एजेंट का नाम) को यह वाणिज्यिक पत्र प्रस्तुत (शब्दों में) की राशिः	9	पुर्द करने पर रु.	
के लिए और की ओर से कंपनी/संस्था का नाम)			_ (जारीकर्ता
ह0/- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता			

ह0/-		
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता		
इस वाणिज्यिक पत्र के सभी लिए आवंटित स्थान के अंट	•	ने चाहिएं। प्रत्येक पृष्ठांकन उसके
—————————————————————————————————————	 राशि अदा करें ।	_ (अंतरिती का नाम) अथवा उसके
कृते और की ओर से		(अंतरणकर्ता का
नाम)		`
1.	п	
2.	II	

3.

4.

अनुसूची ॥

आईपीए प्रमाणपत्र

हमारा		(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम) .
के साथ वैध आइपीए कर	ार है ।	
2. हमने		(जारीकर्ता कंपनी/संस्था का नाम) द्वारा
प्रस्तुत दस्तावेज अर्थात्	, बोर्ड	
संकल्प तथा साख निर्धाः	रण एजेंसी द्वारा जारी प्रमाप	ग पत्र का सत्यापन किया है तथा प्रमाणित करते है
कि दस्तावेज सही हैं । मृ	्ल दस्तावेजों की प्रमाणित प्र	गतिलिपियां हमारी अभिरक्षा में हैं ।
3*. हम एतद् वारा यह र्भ	ो प्रमाणित करते हैं कि रु	रुपये मात्र)
		(शब्दों में)
के लिए (दिनांक)	के क्रम सं	के संलग्न वाणिज्य पत्र के निष्पादकों के
हस्ताक्षर		द्वारा फाइल किये गये नमूना हस्ताक्षरों के साथ
(जारीकर्ता	कंपनी/संस्था का नाम)	
मेल खाते हैं ।		
ह0/-		
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	·)	
(जारीकर्ता तथा भुगतान	। एजेंट का नाम तथा पता)	
स्थान :		
तारीख :		
*(मूर्त रूप में वाणिज्यि	क पत्र पर लागू/ यदि लागू व	न हो तो काट दें)

अनुसूची III वाणिज्य पत्र की चुकौती में चूकों का ब्योरा

जारीकर्ता का नाम	वाणिज्य पत्र जारी करने की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)	चुकौती की नियत तारीख	शुरुआती रेटिंग	अद्यतन रेटिंग	क्या वाणिज्य-पत्र को निर्गम किसी आपाती सहायता/क्रेडिट बैक स्टॉप सुविधा/गारंटी उपलब्ध है	उपलब्ध कराने वाली	क्या कॉलम 7 में वर्णित सुविधा को माना गया और भुगतान किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

₹0/-		
[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]		

अनुसूची IV वाणिज्य पत्रों की वापसी खरीद की रिपोर्टिंग

व्यापार की तारीख	जारीकर्ता	आईएसआईएन	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि (करोड़ रुपये में)	#वापसी खरीद का स्वरूप	
# क्या वाणिज्य पत्र जारीकर्ता द्वारा समाप्त किया गया है, दर्शाएं।							

ह0/-

[प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]

जुटाये गये कुल संसाधन संबंधी मासिक विवरणी

1.	सूचना देने वाली संस्था :								
2.	समाप्त माह की रिपोर्ट :								
3.	रिपोर्ट की तारीख :								
4.	उधार लेने की कुल सीमा (एन ओ एफ का 10 गुना) :	करोड़ रु.							
5.	दिनांक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार एन करोड़ रु.	ओएफ							
5.	माह के अंत में उधार ली गयी राशि की बकाया राशि	करोड़ रु.							
	माह के दौरान जुटाए गए संसाधन								
		(करोड़ रुपये)							
	क. 'अंब्रेला सीमा' के अंतर्गत लिखत	राशि							
	1. मीयादी जमा-राशियाँ								
	2. मीयादी मुद्रा उधार								
	3. जमा प्रमाणपत्र (सीडीएस)								
	4. अंतर-कंपनी जमाराशियाँ (आइसीडीएस)								
	5. वाणिज्यिक पत्र								
	क का जोड़ (1 से 5)								
	ख. बांड								
	कुल (क + ख)								
	कुल (क + ख)								

बांडों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों पर मासिक विवरणी

माह के दौरान जुटायी गयी कुल राशि करोड़ रुपये वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान जुटायी गयी संचयी राशि करोड़ रुपये

	बांड करने तारीख#	जारी की	माह दौरान जुटायी गयी र @	परिपक्वता अवधि	विकल्प (काल/पुट/ दोनों)	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)	प्रस्तावि त वार्षिक वाइटीए म (दर)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर वार्षिक वाइटीएम (बांड जारी करने के समय समान अवशिष्ट परिपक्वता अवधि का)	प्रति-भूतियों
क. बांडों के सरकारी निर्गम									3147)
लिखतों के प्रकार									
i)									
ii)									
iii)									
कुल (क)									
ख. बांडों के निजी प्लेसमेंट							L		
लिखतों के प्रकार									
i)									
ii)									
iii)									
iv) निरंतर उपलब्ध बांड,									

यदि कोई हों (उपलब्धता		
अवधि का उल्लेख करें)		
कुल (ख)		
कुल जोड़ (क +ख)		

[@] इनमें सिर्फ वे ईश्यू शामिल किये जाएंगे जिन की उपलब्धता अविध पहले ही समाप्त हो गई है ।

[#] जनता के अभिदान/निजी प्लेसमेंट के लिए खोले गये ईश्यू की तारीख का उल्लेख किया जाए ।

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	एफआइसी सं. 817/ 01.02.00/ 95-96	27.05.1996	वित्तीय संस्थाओं के अल्पावधि उधार
2.	सीपीसी 2774/07.01.279(विसं) / 96-97	03.05.1997	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन ज्टाना
3.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 28/ 01.02.00/97-	26.03.1998	वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांड निर्गम से
	98		संसाधन जुटाना
4.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 30/ 01.02.00/98-	09.07.1998	एआइएफआइ द्वारा बांड के निर्गम पर
	99		स्थायी समिति - उसका गठन
5.	बैंपवि. एफआइडी. सं. 33/ 09.01.02/98-	14.11.1998	वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन जुटाना -
	99		निजी तौर पर आबंटन करके बांड जारी करना
6.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-21/	21.06.2000	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
	09.01.02./99-2000		संसाधन जुटाना
7.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-6/	10.10.2000	मुद्रा बाज़ार में गतिविधियां -मीयादी
	09.01.02./2000-01		जमाराशियों की रेटिंग
8.	बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-12/	05.12.2000	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा
	01.02.00/2000-01		संसाधन जुटाना - मासिक विवरणियां
9.	औनिऋवि. 2 /08.15.01/2001-02	23.07.2001	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशा-
			निर्देश
10.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-4/ 01.02.00/	28.08.2001	लिखतों को अमूर्त रूप में रखना
	2001-02		
11.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-15 01.02.00/	29.04.2002	जमा प्रमाणपत्रों को अमूर्त रूप में जारी करना
	2001-02		
12.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-18/ 01.02.00/	20.06.2002	जमा प्रमाणपत्र - न्यूनतम तथा बहुविध
	2000-01		अपेक्षाएं
13.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-9/ 01.02.00/	25.11.2002	मौद्रिक तथा ऋण नीति, 2002-03 की
	2002-03		मध्यावधि समीक्षा -जमा प्रमाणपत्र
14.	बैंपवि.एफआइडी. सं. सी-6/	06.08.2003	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशा-
	01.02.00/2003-04		निर्देश
15.	मौनीवि.245/07.01.279/2003-04	05.01.2004	मीयादी जमाराशियां : समयपूर्व आहरण
16.	मौनिवि. 254/07.01.279/2004-05	12.07.2004	जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी
			दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र
17.	मौनिवि.258/07.01.279/2004-05	26.10.2004	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए
			दिशानिर्देश
18.	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2	01.07.2006	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए
	006-07		संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड

19.	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/	02.07.2007	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए
	01.02.00/2007-08		संसाधन ज्टाने संबंधी मानदंड
20	बैंपविवि.एफआइडी.एफआइसी.1/01.02.00/2	01.07.2008	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के
	008-09		लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
21	बैंपविवि.एफआइडी. 8909/09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने
	01.02/2008-09		संबंधी मानदंड
22	बैंपविवि.एफआइडी. 8911/09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने
	01.02/2008-09		संबंधी मानदंड
23	बैंपविवि.एफआइडी. 8912/09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने
	01.02/2008-09		संबंधी मानदंड
24	बैंपविवि.एफआइडी. 9045/09	08.12.2008	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने
	01.02/2008-09		संबंधी मानदंड
25	बैंपविवि.एफआइडी.11379/09	15.01.2009	अम्ब्रेला सीमा में छूट
	01.02/2008-09		
26.	बैंपविवि.एफआइडी. एफआइसी. 1/	01.07.2009	मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के
	01.02.00/2009-10		लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड
27.	बैंपविवि.एफआइडी.11357/09	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन
	01.02/2009-10		जुटाने संबंधी मानदंड
28.	बैंपविवि.एफआइडी.11358/09	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन
	01.02/2009-10		जुटाने संबंधी मानदंड
29.	बैंपविवि.एफआइडी.11359/09	01.02.2010	वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन
	01.02/2009-10		जुटाने संबंधी मानदंड
30.	बैंपविवि.एफआइडी.No.5539/03.27.29/20	05.10.2010	उधार सीमा-एनएचबी द्वारा वृद्धि के लिए
	10-11		अनुरोध
31	बैंपविवि.एफआइडी.13940/03.27.29/2010-	08.03.2011	कुल बकाया संसाधनों की निर्धारित सीमा
	11		में छूट
32.	बैंपविवि.एफआइडी.19202/03.27.12/2010-	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना
	11		
33.	बैंपविवि.एफआइडी.19204/03.01.06/2010-	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना
	11		
34.	बैंपविवि.एफआइडी.19205/03.01.11/2010-	13.06.2011	अम्ब्रेला सीमा के अंतर्गत संसाधन जुटाना
	11		
35.	आंऋप्रवि.पीसीडी.1284/14.01.02/2012-13	16.10.2012	अधिसूचनाः रिज़र्व बैंक वाणिज्य पत्र
			निदेश, 2012